आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
06/08/2019	**न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा** विविध सीलिंग वाद संख्या- 13/1994 शीलत यादव, राम कृष्ण यादव, सत्य नारायण यादव पिता स्व0 अधिक लाल मंडल, अवध नारायण यादव, विजेन्द्र यादव, सदानन्द यादव पिता- हरिनन्दन यादव, सुभाष चन्द्र यादव, रामोतार यादव वो बैद्यनाथ यादव पिता कुसुमलाल यादव सा0 सकरपुरा थाना+अंचल+जिला- मधेपुरा- **प्रथम पक्षगण** **बनाम** सुशील कुमार पिता स्व0 बिन्देश्वरी मंडल, अभय कुमार पिता स्व0 कमलेश्वरी मंडल, सा0 चतरा, थाना मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा, राशो पासवान पिता अवध पासवान, बंगाली मुशहर पिता अगहनु मुशहर, धनिकलाल बिन्द, पिता भागवत बिन्द, पंचू मुशहर पिता मखन मुशहर सा0 मजरहट, थाना सिंहेंश्वर वो राज्य द्वारा अंचल अधिकारी, सिंहेंश्वर, जिला-मधेपुर- **द्वितीय पक्षगण** **-: आदेश :-** बिहार गजट असाधारण अंक सं0 710 दिनांक 02 सितम्बर 2016 के द्वारा बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) संशोधन अधिनियम 2016 (बिहार अधिनियम 18, 2016) की कंडिका 04 के अनुसार बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 की धारा 45 बी0 को निरसित कर दी गई है। कंडिका 5 के अनुसार अधिनियम 1961 की धारा 45 ''ग'' के बाद एक नई धारा 45 ''घ'' जोड़ा गया है। संशोधित नई धारा 45 ''घ'' में उल्लेख है कि :- **संशोधित अधिनियम की धारा -45 ''घ'' :- '' इस अधिनियम की धारा 45 ''बी'' के निरसन के पश्चात् राज्य सरकार अथवा बिहार भूमि न्यायाधिकरण में लंबित कार्यवाही उपशमित समझी जायेगी तथा निरसित धारा 45 ''बी'' के अधीन प्रारंभ की गई कार्यवाही तथा समाहर्त्ता के समक्ष लंबित कार्यवाही भी उपशमित हो जायेगी।''** प्रश्नगत वाद में भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 की धारा 45 बी0 के अधीन कार्यवाही चल रही थी, संशोधित अधिनियम 2016 के आलोक में उपशमित हो गई है। **अतएव संशोधित अधिनियम की धारा -45 ''घ'' में निहित प्रावधान के आलोक में इस** वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। ह0 — अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा। लेखापित एवं शुद्धिकृत ह0 — अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा। डी0बी0नं0................../न्याया0......................../2019 प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मधेपुरा एवं सिंहेंश्वर को आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निम्न आदेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ह0 — अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा।	

डी0बी0नं0...360....../न्याया0..06....8......।2019

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, समाहरणालय, मधेपुरा को Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
मधेपुरा।